रजिस्टर्ड नं० एल०-33/एस० एम०/13-14/96.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 25 मार्च, 1997/4 चैत्र, 1919

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-171004, 25 मार्च, 1997

संख्या विधायन/विधेयक/11/97-वि० स०.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 135 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक 1977, (1997 का

विधेयक संख्यांक 1) जो आज दिनांक 25 मार्च, 1997 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ असाधारण राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

हस्ताक्षरित/-

सचिव ।

1997 का विधेयक संख्यांक 1.

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 1997

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 1997 है ।

(2) यह 10 जनवरी, 1997 को प्रवृत्त होगा और सदैव प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

धारा 4 का संशोधन ।

1994 का 12.

2. हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उप-धारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(3) नगर निगम में इस धारा के अधीन सीधे निर्वाचन द्वारा चुने हुए व्यक्तियों के अतिरिक्त, पूर्णतः या अंशतः नगरपालिका क्षेत्र में समाविष्ट निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य विधान सभा के सदस्य, भी पार्षद् होंगे और राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को भी, जो तीन से अधिक नहीं होंगे, पार्षद् के रूप में नामनिर्देशित कर सकेगी :

परन्तु इस उप-धारा के अधीन नामनिर्देशित व्यक्तियों को निगम की बैठक में मत देने का अधिकार नहीं होगा ।" ।

धारा 254 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 254 में, उप-धारा (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(5) जहां निर्माण का स्वामी अपने बन्द किए गए कार्य या उस द्वारा पूर्ण किए गए कार्य के पश्चात् संशोधित रेखांक प्रस्तुत करता है और उसमें मंजूर रेखांक से विचलन है, तो आयुक्त, धारा 255 के अधीन राज्य सरकार द्वारा विशेष या साधारण निदेशों के अध्यधीन विचलन के मामलों का मन्जूर रेखांक से दस प्रतिशत तक प्रशमन कर सकेगा :

परन्तु जहां संशोधित रेखांक में—

(i) किसी सरकारी भूमि या नगरपालिका या स्थानीय प्राधिकरण में निहित भूमि ; या

(ii) किसी लोक सड़क, मार्ग, पथ या नाली को आच्छादित करते हुए ; या

(iii) हिमाचल प्रदेश सड़क पार्श्व भूमि नियंत्रण अधिनियम, 1968 के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए, निर्माण का परिनिर्माण अन्तर्वलित है ; 1969 का 21.

वहां आयुक्त मंजूर रेखांक से विचलन का प्रशमन नहीं करेगा ।

(5क) उप-धारा (5) के अधीन आयुक्त के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, आयुक्त द्वारा आदेश पारित करने से तीस दिन के भीतर और ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए, मण्डलायुक्त को अपील कर सकेगा ।

(5ख) उप-धारा (5क) के अधीन अपील में मण्डलायुक्त के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, मण्डलायुक्त द्वारा किए गए आदेश से तीस दिन के भीतर और ऐसी विहित रीति में, जैसी विहित की जाए, राज्य सरकार को अपील कर सकेगा ।

(5ग) अपील प्राधिकारी कारणों को अभिलिखित करते हुए, उप-धाराएं (5क) और (5ख) में विनिर्दिष्ट तीस दिन की अवधि के पश्चात् भी अपीलें दाखिल करने की अनुज्ञा दे सकेगा और उक्त उप-धाराओं के अधीन तीस दिन की अवधि की संगणना करने के लिए, आदेश जिसके विरूद्ध अपील की गई है, की प्रमाणित प्रतियां उपाप्त करने के लिए व्यतीत हुआ समय अपवर्जित किया जाएगा ।

(5घ) राज्य सरकार उप-धाराएं (5), (5क) और (5ख) में किसी बात के होते हुए भी, अत्यधिक कठिनाई के असाधारण मामलों में मंजूर रेखांक से विचलन के मामलों का प्रशमन कर सकेगी ।" ।

1997 के अध्यादेश संख्यांक 1 का निरसन ।

4. (1) हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 1997 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 1997 का निरसन होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

नगर निगम में विधान सभा सदस्यों के पार्षद् के रूप में नामनिर्देशन के बारे में हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 4(3) के उपबन्ध, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-आर के उपबन्धों के अनुरूप नहीं हैं। इसके अतिरिक्त मंजूर किए गए निर्माण रेखांक से विचलन के नियमितिकरण में जनसाधारण द्वारा अनुभव की जाने वाली अनिश्चितता और कठिनाई को दूर करने की अति आवश्यकता है। इसलिए उक्त अधिनियम में शीघ्र संशोधन करना अनिवार्य हो गया है।

क्योंकि हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं थी और हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 12) में तत्काल संशोधन किया जाना अपेक्षित था, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 1997 (1997 का 1) 8 जनवरी, 1997 को प्रख्यापित किया गया और इसे दस जनवरी, 1997 के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में प्रकाशित किया गया था। उक्त अध्यादेश को अब नियमित अधिनियमिति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना अपेक्षित है।

यह विधेयक उक्त अध्यादेश को बिना किसी उपान्तरण के प्रतिस्थापित करने के लिए है।

जय बिहारी लाल खाची,
प्रभारी मन्त्री।

शिमला :
25 मार्च, 1997

वित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 3, अधिनियमित किए जाने पर राज्य सरकार को, अपीलें दाखिल करने की रीति अधिकथित करने के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करेगा। यह प्रत्यायोजन आवश्यक तथा सामान्य स्वरूप का है।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 1 of 1997.

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) BILL, 1997

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (12 *of* 1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Forty-eighth Year of the Republic of India, as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Act, 1997.

(2) It shall and shall be deemed to have come into force on the 10th day of January, 1997.

Amendment of section 4.

2. For sub-section (3) of section 4 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (hereinafter called the principal Act), the following sub-section shall be substituted, namely:— 12 of 1994

"(3) In the Corporation, in addition to persons chosen by direct election under this section, the Members of the State Legislative Assembly, representing constituencies which comprise wholly or partly in municipal area, shall also be the Councillors and the State Government may, by notification, also nominate as Councillors, not more than three, persons having special knowledge or experience of Municipal administration:

Provided that the persons nominated under this sub-section shall not have the right to vote in the meeting of the Corporation".

Amendment of section 254.

3. In section 254 of the principal Act, for sub-section (5), the following sub-sections shall be substituted, namely: —

"(5) Where the owner of the building submits the revised plan, after the work has been stopped by him or the work is completed by him and there are deviations from the sanctioned plan, the Commissioner may, subject to the special or general directions of the State Government under sub-section (6), compound the cases of deviations upto 10% from the sanctioned plan :

Provided that where the revised plan involves erection of building—

(*i*) on any Government land or the land vested in a municipality or a local authority ; or

(*ii*) by covering any public road, street, path or drain ; or

21 of 1969

(*iii*) by contravening the provisions of the Himachal Pradesh Roadside Land Control Act, 1968 ;

the Commissioner shall not compound deviations from the sanctioned plan.

(5 A) Any person aggrieved by the decision of the Commissioner under sub-section (5), may, within thirty days from the passing of the order by the Commissioner and in such manner as may be prescribed, appeal to the Divisional Commissioner.

(5 B) Any person aggrieved by the decision of the Divisional Commissioner in appeal under sub-section (5 A), may, within thirty days from the order made by the Divisional Commissioner and in such manner as may be prescribed, appeal to the State Government.

(5 C) The appellate authority may, for reasons to be recorded in writing, allow the appeals to be filed after the expiry of the period of thirty days specified in sub-sections (5A) and (5 B) and for calculating the period of thirty days under the said sub-sections, the time spent in procuring the certified copies of the orders to be appealed against shall be excluded.

(5 D) Notwithstanding anything contained in sub-sections (5), (5 A) and (5 B), the State Government may, in exceptional cases of extreme hardship, compound the cases of deviations from sanctioned plans.".

Repeal of Ordinance No. 1 of 1997.

4. (1) The Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 1997, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding the repeal of the Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 1997, anything done or action taken under the said Ordinance, shall be deemed to have been taken under the corresponding provisions of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The provisions of section 4 (3) of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 regarding nomination of members of the Legislative Assembly as Councillors of the Municipal Corporation are not in confirmity with the provisions of Article 243-R of the Constitution of India. Apart from this there is also urgent need to remove the uncertainity and hardship being experienced by the public in regularisation of deviations from the sanctioned building plans, as such it has become necessary to make immediate amendments in the aforesaid Act.

Since the Himachal Pradesh Legislative Assembly was not in session and the amendments in the Hi nachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No. 12 of 1994) was required to be made urgently, the Governor, Himachal Pradesh, promulgated under clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amenmdent) Ordinance, 1997 (Ordinance No. 1 of 1997) on the 8th January, 1997 and the same was published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-ordinary) dated 10-1-1997. Now the said Ordinance is required to be replaced by a regular enactment.

This Bill seeks to replace the said Ordinance without any modification.

JAI BIHARI LAL KHACHI,
Minister-in-charge.

SHIMLA :
The 25th March, 1997.

FINANCIAL MEMORANDUM

-Nil-

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 3 of the Bill, when enacted will empower the State Government to make rules to lay down the manner in which appeals will be filed. The delegation is essential and normal in character.

नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।